(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 08 / 2020

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री बुद्धिप्रकाश चौरसिया पुत्र रामकल्याण जाति चौरसिया निवासी सहकार भवन के पास, कोटा रोड जिला बाराँ(मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स सुहानी डिपार्टमेन्टल, सहकार भवन के पास, कोटा रोड, जिला बाराँ।
2. श्री जयेश क्षैतिजा निवासी बत्रा आई हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड बाराँ। मैसर्स झूले लाल ट्रैडर्स, दीनदयाल पार्क, बाराँ।
3. श्री हेमन्त सक्सेना पुत्र परमात्मा सहाय सक्सेना निवासी 3–क–7 विज्ञाननगर, कोटा(नोमिनी)। ADVANTAGE OILS PVT. LTD. NH-52 Ramgang Balaji Bundi-323001
4. ADVANTAGE OILS PVT. LTD. NH-52 Ramgang Balaji Bundi-323001

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गिरिराज शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौतम अभि0 (अप्रार्थी क्र.1 व 2)
3– श्री बृजेश नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्र.3 व 4)

निर्णय दिनांक 15.03.2021

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.05.2019 को मैसर्स सुहानी डिपार्टमेन्टल, सहकार भवन के पास कोटा रोड, जिला बाराँ पर पहुंचा। वहाँ पर श्री बुद्धिप्रकाश चौरसिया पुत्र रामकल्याण (मौके पर मौजूद विकेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.05.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन [illegible]च / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उसे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:26:26 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) 01 लीटर पैक बॉटल में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) वास्ते नमूना जांच हेतु **01 लीटर के 04 मूल पैक बॉटल** खरीदी, जिसकी कीमत श्री बुद्धिप्रकाश चौरसिया पुत्र रामकल्याण (मौके पर मौजूद विक्रेता) को 360/– रूपये (अक्षरे तीन सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) **01 लीटर के 04 मूल पैक बॉटल** को चार नमूना भागों मे अलग–अलग कर मूल बॉटल पर हीं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–936 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–936 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री बुद्धिप्रकाश चौरसिया पुत्र रामकल्याण ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:26:26 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/238 दिनांक 11.07.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 301/FSSA/Act/ 2019/347 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Mis Branded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स सुहानी डिपार्टमेन्टल, सहकार भवन के पास कोटा रोड, जिला बाराँ से पत्रांक 239 दिनांक 11.07.2019 से सूचना चाही। मैसर्स सुहानी डिपार्टमेन्टल, सहकार भवन के पास कोटा रोड, जिला बाराँ द्वारा प्रतिउत्तर में आधार कार्ड एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Mis Branded**) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** ((Carnival Plus)) के 01 लीटर की 04 मूल पैक बॉटल वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी थी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट होना नहीं पाया गया। इसकी लेबलिंग में रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (Carnival Plus) में नाममात्र की त्रुटि पाई गई। जिसके लिए प्रकरण मे सुधारात्मक निर्देश प्रदान किये जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 301/FSSA/Act/2019/347 दिनांक 05.07.2019 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी कम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था, कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय की गई खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल** (Carnival Plus) की 01 लीटर की 04 मूल पैक बॉटल खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 301/FSSA/Act/2019/347 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (**Mis Branded**) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:26:26 IST
Reason: SelfAttested

2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को राशि 1000/– रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 2 को राशि 1,000/– रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 4 को राशि 10,000/– रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 12,000/– रूपये (अक्षरे बारह हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested